न्यायालय अपील प्राधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:– गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्या: 12/2023

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1– शान्तिलाल उर्फ बाबूलाल पुत्र सरदारमल, जाति–भण्डारी, उम्र 39 वर्ष निवासी पालासनी तहसील व जिला जोधपुर		1–पूनमचंद पुत्र शांतिलाल उर्फ बाबूलाल, जाति भण्डारी, उम्र 45 वर्ष, निवासी शांतिपुरा की गली संख्या 01, हाथीराम का ओडा, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.07.2023 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा प्रकरण संख्या 04/2022 शांतिलाल बनाम पूनमचंद में पारित किया गया।

उपस्थिति:–

1–अपीलार्थी उपस्थित।
2–प्रत्यर्थीपक्ष उपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बाबत अपीलार्थी को भरण पोषण राशि दिलाने हेतु प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2023 को पारित किया गया, जिसमें प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना के अतिरिक्त अन्य सभी आदेशों पर रोक लगाई जाकर अपीलार्थी/प्रार्थी को प्रतिमाह 2500/– रूपये का भुगतान भरण पोषण राशि के रूप में करने का आदेश किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज (12/2023) रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थीगण के नोटिस दिनांक ... दिनांक 04.12.2023 बाद तामील/अदम तामिल नही लौटे, प्रत्यर्थीपक्ष ... हुए तथा अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट ... दिनांक 01.05.2024 को उपस्थित हुए तथा दोनो पक्षों की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2025.01.28 10:46:34 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी ने अपनी बहस में बतलाया कि रेस्पो. पक्ष शांतिलाल पुत्र है तथा अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर उत्तर) के समक्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

का भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की दिनांक से सम्पूर्ण भरण पोषण की राशि एक मुश्त मय ब्याज दिलाये जाने एवं आगामी भरण पोषण भी समय पर दिलाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नही कर विधिक भूल की है। बहस में यह भी कहा गया कि अप्रार्थी को भरण पोषण की राशि का भुगतान नही करके अधीनस्थ अधिकरण की आदेश की पालना नही की गई अतः अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.07.2023 को निरस्त करने के आदेश प्रदान किया जाय।

तत्पश्चात रेस्पोडेण्ट पक्ष ने अपनी बहस में बतलाया कि रेस्पोडेण्ट पक्ष की 6 वर्ष की आयु में उनकी माता का स्वर्गवास हो गया तथा अपीलार्थी/प्रार्थी ने दूसरी शादी कर रेस्पोडेण्ट को घर से निकाल दिया, रेस्पोडेण्ट की दादी ने उनका पालन पोषण किया। अपीलार्थी ने रेस्पोडेण्ट को गांव पालासनी स्थित पैतृक सम्पति रहवासीय मकान, दो दुकानें एवं कृषि भूमि से भी बेदखल कर रखा है। अपीलार्थी/प्रार्थी स्वयं गांव बिरामी में दुकान किराये पर ले रखी है तथा गांव पालासनी स्थित दो दुकानों में दूसरा बेटा विकास एवं पोत्र मोहित व्यवसाय करते है। पैतृक कृषि भूमि भी अपीलार्थी/प्रार्थी ही काश्त पर देता है एवं फसल प्राप्त कर आय अर्जित करता है। बहस में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी/प्रार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण से जारी आदेशों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका पेश की जिसकी संख्या 3630/2022 है, में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2022 को स्थगन आदेश पारित किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इस स्टेज पर प्रकरण में आदेश पारित करना उचित नही है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10/Res Sub Judice Principal के तहत अपील निरस्त की जाती है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर–ग्रामीण
अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 20.05.2024 को सुनाया व सुनाकर लिखाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2025.01.28 10:46:34 IST
Reason: SelfAttested

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर–ग्रामीण
अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)